



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिभकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 1981/वैशाख 24, 1903
No. 200] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 1981/VAISAKHA 24, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आवेश

नई दिल्ली, 14 मई, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 370(अ)—संख्या-ई०(सी)ओ, 1977/र' एम (204):—अयात तथा निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नियति (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आने संशोधन
करने के लिए निर्मातित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात :-

(1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पन्त्रहवां संशोधन आदेश, 1981 की संज्ञा दी जाए।

(2) निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 में:—

(क) खुले सामान्य लाइसेंस 3 में क्रम सं० प्र 66 के सामने के कालम 4 की वर्तमान शर्त को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

(1) ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद के साथ पंजीकृत संविदाओं के मद्दे निश्चित बुनाई के मामले में वस्त्र आयात द्वारा घोषित न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त के अधीन और ऊनी बुने हुए वस्त्रों के मामले में 152/- प्रति किलोग्राम जहाज पर निःशुल्क मूल्य की न्यूनतम निर्यात मूल्य पर निर्यात अनुमति होगा।

(2) उपर्युक्त (1) पर दर्शाई गई न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम पर ऊनी बुने हुए वस्त्रों का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस 4 के अधीन भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि०, के माध्यम से सरणीबद्ध होगा।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस 4 में क्रम संख्या 21 पर की वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

1	2	3	4
21.	खुले सामान्य लाइसेंस 3 की क्र० सं० 66 के अन्तर्गत दर्शाई गई न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम मूल्य पर निर्यातित ओलिव ग्रीन शेड से भिन्न ऊनी बुने हुए वस्त्र	बी० 75	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि०।

[मिसिल सं० 2/20/81 ई-1]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 14th May, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

S.O.370(E)/No. E(C)O, 1977AM(204):—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifteenth Amendment Order, 1981.

2. In the Exports (Control) Order, 1977

(a) In OGL.3. the existing condition in column 4 against S.No.66 shall be substituted by the following:—

(i) Export allowed against contracts registered with Wool and Woollen Export Promotion Council and subject to minimum export

price announced by the Textile Commissioner in respect of mixed knitwears and minimum export price of Rs. 152/- per Kg. f.o.b. in respect of woollen knitwears.

- (ii) Export of Woollen knitwears below the minimum export price indicated as at (i) above will be canalised through the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited under OGL.4.

(b) In OGL.4, the existing entry appearing at S.N.o. 21 shall be substituted by the following:—

1	2	3	4
21.	Woollen knitwears other than of Olive Green Shade exported at prices below the minimum export price as indicated under S.No.66 of OGL.3.	B.75	Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd.

[F. No. 2/20/81/EI.]

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports

